ग्राम पंचायत थाना, विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016
भाग–एक

1 **प्रस्तावना {क} :–** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD / 2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत थाना विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति निर्मला शर्मा	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री किशोर कुमार	23.1.16 से लगातार

सचिवः–

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रमोद सिंह	1.4.13 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :– ग्राम पंचायत थाना के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में}
1	9	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.18
2	10	अनुदान का उपयोग न करना	7.74
3	11	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.54
4	12	निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करना	0.04
5	13	अनियमित प्रकार से अधिक व्यय करना	0.71
6	14	अग्रिम राशि का दिनांक 31.3.2016 तक समायोजन न करना	0.21
7	15	मांग से अधिक मात्रा में सीमेंट क्रय करना	0.12

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत थाना विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 21.11.2016 से 24.11.16 तक ग्राम पंचायत, थाना के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 6/13, 10/14, 3/16 व 3/14, 2/15, 6/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत थाना विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 5 दिनांक 24.11.2016 द्वारा सचिव, **ग्राम** पंचायत थाना से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत थाना द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

{क} स्वः स्त्रोत व विविध अनुदान :– ग्राम पंचायत थाना के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्वः स्त्रोतों व विविध अनुदान (मनरेगा, वॉटर शैड व स्थानीय क्षेत्र विकास समिति को छोड़कर) की वित्तीय का **''परिशिष्ट–क''** अनुसार विवरण नीचे दिया गया है।

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों (मनरेगा, वॉटर शैड व स्थानीय क्षेत्र विकास समिति को छोड़कर) की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांक्ति करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़

वही में लेखांक्ति स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्वः स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को अलग–अलग नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ बही अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है:–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	338973.72	1170182	1509155.72	907035	602120.72
2014-15	602120.72	872708	1474828.72	998710	476118.72
2015-16	476118.72	1361206	1837324.72	1226545	610779.72

नोटः– रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए हैं। अतः रोकड बही में दर्शाई गयी हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 प्रारम्भिक शेष (Opening Balance) लिया गया है।

{ख} अनुदानः– ग्राम पंचायत थाना के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों (मनरेगा, वॉटर शैड व स्थानीय क्षेत्र विकास समिति) की वित्तीय स्थिति का **''परिशिष्ट–क''** अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है :–

मनरेगा:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	27227	413094	440321	438628	1693
2014-15	1693	810004	811697	809623	2074
2015-16	2074	507452	509526	509494	32

वॉटर शैड:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	192303	5386	197689	160960	36729
2014-15	36729	1484	38213	38213	0
2015-16	0	1002	1002	0	1002

स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (एल०ए०डी०सी०):-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	20894.45	100091	120985.45	10000	110985.45
2014-15	110985.45	1652493	1763478.45	1352817	410661.45
2015-16	410661.45	342441	753102.45	591068	162034.45

नोटः– रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए हैं। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (Opening Balance) लिया गया है।

5 बैंक समाधान विवरणी :–

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है। जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड वही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार ₹10268.00 का **अंतर** पाया गया जिसका समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर है जिसका समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। अतः नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही के अंतशेष और बैंक खातों के अन्तशेष के अन्तर ₹10268.00 का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

कम सं0	**विवरण**		**राशि**
1	रोकड वही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष		773848.34
	(i) स्व–स्त्रोत व विविध अनुदान पैरा 4(क)	610779.72	
	(ii) मनरेगा, वॉटर शैड व स्थानीय क्षेत्र विकास समिति पैरा 4(ख)	32 1002 162034.62	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट–ख)**		**763580.34**
3	**अन्तर**		**10268**

6 **निवेशः–** सचिव ग्राम पंचायत थाना द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा **योजना** में निवेश नहीं थी।

7 रोकड वही व बैंक खातों का नियमानुसार रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अन्तर्गत ग्रम पंचायत की स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता–''क'' व खाता–''ख'') खोले जाने का प्रावधन है। खाता–''क'' में पंचायत के स्व–संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता–''ख'' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा

करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत थाना में चार रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा 7 विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जानें बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये। भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व **कृत** अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

8 (क) बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही **रजिस्टर** (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था **तथा** पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म–11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही प्रकार से रख–रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, आरेखण, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी **स्वीकृति**, मापन पुस्तिका, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख का ठीक प्रकार/व्यवस्थित ढंग से रख–रखाव नहीं किया गया था। सचिव, ग्रम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि सामान्य निधि से सम्बन्धित ₹1.50 लाख से उपर के निर्माण कार्यों का तकनीकी अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है। इसके अतिरिक्त मरनेगा निधि से सम्बन्धित उक्त तकनीकी अभिलेख अपेक्षित जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणाम स्वरुप वर्तमान अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान तकनीकी अभिलेख की जाँच अंकेक्षण दल द्वारा नहीं की जा सकी। अतः व्यय हेतु चयनित मासों **के** उक्त तकनीकी अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाऐ। साथ ही सुझाव दिया जाता है कि पंचायत के समस्त अभिलेख का रख–रखाव व्यवस्थित/**क्र**मबद्व तरीके से किया जाये ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये

जा रहे लाखों रूपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

9 पंचायत राजस्व ₹0.19 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित **परिशिष्ट–ग** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹18620 की राजस्व वसूली **हेतु** शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करके **कृत** अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

10 अनुदान ₹ 7.74 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा **''परिशिष्ट–क''** पर उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति/सूचना अनुसार दिनांक 31.3.16 को अनुदानों की कुल ₹773847.17 उपयोग हेतु शेष थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों से सम्बन्धित आय–व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय–व्यय को अलग–अलग नहीं किया जा सकता। अतः सुझाव दिया जाता है कि पंचायत निधि खाता–'क' व खाता–'ख' के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा समस्त अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹3.54 लाख के स्टॉक/स्टोर का कय करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का कय करने की औपचारिकताएं पूर्ण करना अपेक्षित है। चयनित मासों में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'घ'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹354099 के स्टोर/स्टॉक का कय बिना किसी कोटेशन/निविदा के ही आधार पर किया गया है। अतः यह **क्र**य उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। परिणाम स्वरुप पंचायत को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से

बंचित होना पड़ा। अतः स्टोर/स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निर्माण सामग्री से ₹0.05 लाख के voids की कटौती न करना :–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि चयनित मासों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **''परिशिष्ट–ड.''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹4500 का अधिक भुगतान किया गया। अतः किये गये अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके **कृत** अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

13. ₹0.71 लाख का अनियमित प्रकार से अधिक व्यय करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत द्वारा सामान्य निधि से सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्यों/लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹70718 का अधिक व्यय कर दिया गया जिसका विवरण **'परिशिष्ट–च'** पर दिया गया है। अतः विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अनुदान में से ₹70718 का अधिक व्यय करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व इसे न्योयोचित ठहराया जाये अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके **कृत** अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

14. अग्रिम ₹ 0.21 लाख का दिनांक 31.3.2016 तक समायोजन न करना :–

सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निम्न वर्णित अग्रिम राशियॉ वर्ष 2001–02 से समायोजन हेतु लम्बित पड़ी हैं। अतः इन राशियों को इतने अधिक समय से समायोजन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अब इनका शीघ्र समायोजन सुनिश्चित किया जाए:–

क्रम सं0	नाम	राशि	विवरण
1	श्री भगत सिंह	15000	राजकीय प्राथमिक पाठशाला, थाना के निर्माण हेतु
2	श्री प्रेम सिंह,पूर्व प्रधान	6000	तारबंदी खेल मैदान भड़ोट के लिए।
योग		**21000**	

15 मांग से अधिक मात्रा में ₹0.12 लाख का सीमेंट क्रय करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(1)व(2) के अन्तर्गत भण्डार के लिए वस्तुऐं मांग के अनुसार क्रय की जानी अपेक्षित है परन्तु

इसके विपरीत ग्राम पंचायत ने माह 10/2012 में सामान्य निधि से 60 बैग सीमेंट ₹245/–प्रति बैग की दर से ₹14700 में क्रय कर लिए थे। उक्त 60 बैग सीमेंट में से 10 बैग सीमेंट 20.10.12 को सामुदायिक भवन, अन्टी खाटल के निर्माण हेतु जारी किए गए तथा शेष 50 बैग सीमेंट निम्न कार्य हेतु दिनांक 29.3.14 को जारी किए गए :–

क्रम सं0	कार्य का नाम	मात्रा
1	निर्माण महिला मण्डल, बडोट	10 बैग
2	पंचायत घर, थाना	5 बैग
3	निर्माण पौडिया मन्दिर	20 बैग
4	निर्माण रैन शैल्टर, मडजुब्बड	15 बैग
	योग	**50 बैग**

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्वत ही स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु 50 बैग सीमेंट का क्रय लगभग एक वर्ष पांच माह पूर्व किया था जिसके लिए ₹12250 व्यय की थी जोकि उक्त नियम के विपरीत है। अतः मांग से अधिक 50 बैग सीमेंट का क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में भण्डार का क्रय मांग के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वांछित निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(2)
2	निवेश रजिस्टर	1	12(1)
3	खाता बहियॉ(Ledger Accounts)	7	29(1)
4	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
5	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
6	विविध मॉग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11	37
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72(1)(डी0)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
12	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103

17 विविधः–

(क) रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {सामान्य} नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र फॉर्म–3 पर रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का निर्माण करना अपेक्षित है। परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आय के संग्रह हेतु उक्त रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। इसके अतिरिक्त रसीदों को रोकड़ बही में अरोही क्रम में दर्ज नहीं किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः पाई गई त्रुटियों का समाधान करते हुए स्टॉक रजिस्टर का अविलम्ब रख–रखाव करके भविष्य में रसीदों को रोकड़ बही में अरोही क्रम में दर्ज किया जाये ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे :–

क्रम सं0	दिनांक	रसीद सं0	राशि	रोकड़ बही पृष्ठ सं0
1	18.2.16	243807	15000	28
2	21.3.16	243804	6000	30
3	21.3.16	243805	5550	30
4	23.3.16	243806	35400	30
5	25.3.16	243808	6000	30
6	25.3.16	243809	5550	30
7	30.3.16	243810	200000	31
8	30.3.16	243811	5345	31

(ख) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10(2) व 17 के अनुसार ₹1000 से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है, परन्तु कई मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार का भुगतान नगद रूप में किया गया था। भुगतान की रसीदें/पावतियॉ भी प्राप्त नहीं की गई थीं जिससे पंचायत निधि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के नगद भुगतानों की रसीद/पावती आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण दिखाई जाए। भविष्य मे उक्त नियम की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

(ग) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत द्वारा स्वीकृत व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या व दिनांक प्रत्येक बिल/वाउचर पर अंक्ति किया जाना अपेक्षित है ताकि कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना न हो। परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण अवहेलना हुई है जो कि अनियमित है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं किया गया है

कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये। भविष्य में उपरोक्त नियम का कडाई से पालन किया जाये।

(घ) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन करने उपरान्त इस आशय का प्रमाण पत्र स्टॉक/स्टोर में अंकित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड.) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति न बनाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 **लघु आपति विवरणिकाः—**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव एवं सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 50/2016—खण्ड—1—1341—1344 दिनाँकः06.03.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत थाना, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.